न्यूज़ टुडे

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS) के अनुसार अधिकांश किसान स्थानीय बाजारों में ही अपनी उपज का विक्रय करते हैं और सरकारी एजेंसियां बहुत कम खरीद करती हैं

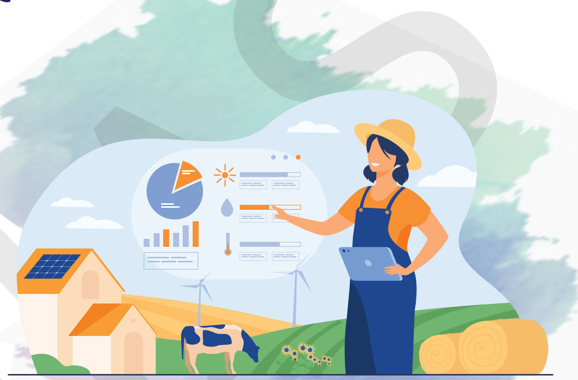

- हाल ही में **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (NSS)** के 77वें दौर के आंकड़े **'परिवारों का भूमि और पशुधन स्वामित्व और कृषक परिवारों की स्थिति का आकलन** (Land and livestock holdings of households and situation assessment of agricultural households)' शीर्षक से जारी किए गये थे।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - **उपज के विक्रय के लिए स्थानीय बाजार को प्राथमिकता:** किसानों ने अपनी उपज का 55–93% स्थानीय बाजारों में विक्रय किया है। कृषि उपज विपणन समिति (APMC) बाजारों में बिक्री की सीमा 3 प्रतिशत से 22 प्रतिशत के मध्य रही है, जबकि सरकारी खरीद में यह सीमा 2 प्रतिशत से 14 प्रतिशत के मध्य रही है।
  - **APMC बाजारों और सरकारी एजेंसियों को विक्रय की गई फसलों का हिस्सा:** इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी धान, गेहूं और गन्ने की थी।
  - **अपनी उपज के प्रतिफल से किसानों में संतुष्टि:** अधिकांश किसान प्राप्त प्रतिफल से 'संतुष्ट' हैं।
    - किंतु अन्य फसलों की तुलना में निम्न बाजार मूल्य एवं विलंबित भुगतान आदि के कारण दलहन के संबंध में संतुष्टि स्तर कम है।
- **किसानों को बाजारों से जोड़ने के लिए हाल ही में किए गए उपाय**
  - **किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020** (The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020), किसानों को उनके निर्दिष्ट जिलों के APMC बाजारों से बाहर उपज के विक्रय की अनुमति प्रदान करता है। इससे प्रत्यक्ष रूप से बाजार के साथ उनकी अंतःक्रिया का उन्नयन होता है।
  - **कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम** {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act} 2020, किसानों के लिए मौखिक या लिखित अनुबंधों के माध्यम से अनुबंध कृषि में संलग्न होने के अवसर सृजित करने पर केंद्रित है।
  - 'प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' (पीएम–आशा/PM–AASHA) के तहत मूल्य समर्थन योजना (PSS) आरंभ की गई है।

क्या स्थायी तुषार (Permafrost) के पिघलने से एक और महामारी फैल सकती है?

- **स्थायी तुषार भूमि** को ऐसी भूमि (मृदा, शैल और किसी भी प्रकार का हिमयुक्त या कार्बनिक पदार्थ) के रूप में परिभाषित किया गया है, **जो कम–से–कम लगातार दो वर्षों से शून्य डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जमी हुई अवस्था** में होती है।

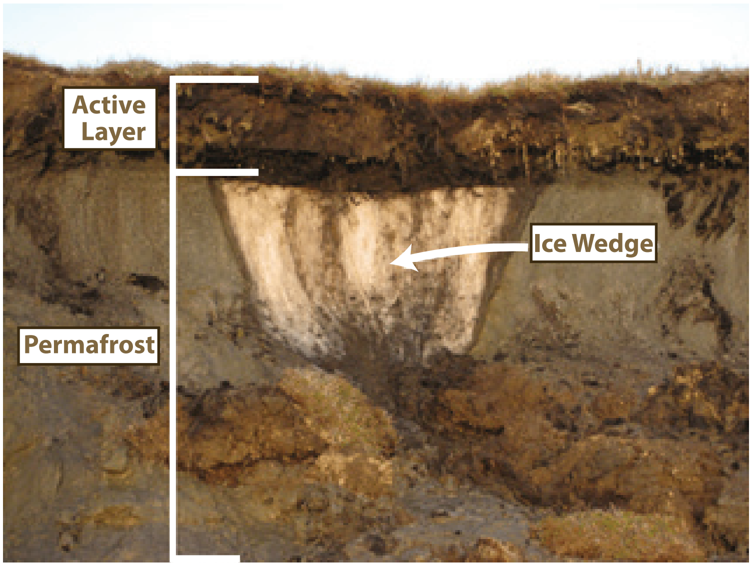

- स्थायी तुषार भूमि 23 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। यह विश्व के लगभग **15 प्रतिशत** भूभाग पर आच्छादित है।
  - उत्तरी गोलार्ध में हिम मुक्त भूमि क्षेत्र का 24 प्रतिशत स्थायी तुषार भूमि के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग **साइबेरिया, कनाडा, अलास्का तथा ग्रीनलैंड** में विस्तारित है।

- **जलवायु परिवर्तन पर अंतर्सरकारी पैनल (IPCC)** की नवीनतम रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि बढ़ते भूमंडलीय तापन के परिणामस्वरूप आर्कटिक स्थायी तुषार भूमि में कमी आएगी। साथ ही, हिम के पिघलने से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की संभावना है।
  - ऐसा माना जाता है कि **स्थायी तुषार भूमि में कुछ जीवाणु तथा विषाणु हजारों वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में बने रह सकते हैं।**
  - स्थायी तुषार भूमि की हिम के पिघलने से ये रोगाणु पर्यावरण में प्रसारित हो सकते हैं तथा नए रोगों के संक्रमण के कारक सिद्ध हो सकते हैं।
- **स्थायी तुषार भूमि के पिघलने के अन्य प्रभाव**
  - आर्कटिक में आधारिक संरचनाओं की धारण क्षमता (जमी हुई भूमि की संरचनात्मक भार वहन करने की क्षमता) में गिरावट आ सकती है।
  - इस हिम के पिघलने से उत्पन्न जल से **मृदा नष्ट हो सकती है।** यह **कार्बनिक पदार्थों, पोषक तत्वों तथा प्रदूषण सहित अन्य विलेयों के परिवहन में वृद्धि** कर सकता है। इन्हें नदी या समुद्री जल द्वारा लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विनियामक सैंडबॉक्स योजना के तहत तीसरा कोहॉर्ट (Cohort) खोलने की घोषणा की

- विनियामक सैंडबॉक्स **एक नियंत्रित/परीक्षण विनियामक परिवेश में नए उत्पादों या सेवाओं के प्रत्यक्ष परीक्षण को संदर्भित करता है।** इसके लिए विनियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य हेतु कतिपय विनियामकीय छूट की अनुमति प्रदान कर सकते हैं अथवा नहीं।
  - विनियामक सैंडबॉक्स सावधानीपूर्वक निगरानी करते हुए और जोखिमों को नियंत्रित करते हुए बाजार सहभागियों को **नए वित्तीय नवाचारों के लाभों एवं जोखिमों पर साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति प्रदान करता है।**
  - तीसरे कोहार्ट का विषय **'एम.एस.एम.ई. उधार'** (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उधार) है।
- ध्यातव्य है कि रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019 में **'खुदरा भुगतान'** विषय के साथ **प्रथम कोहार्ट के लिए** और वर्ष 2020 में **'सीमा पार से भुगतान' विषय वाले दूसरे कोहार्ट हेतु** आवेदन आमंत्रित किए थे।
  - विनियामक सैंडबॉक्स का उद्देश्य **वित्तीय सेवाओं में उत्तरदायी नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करना, दक्षता को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है।**
- **विनियामक सैंडबॉक्स के लाभ**
  - यह विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं, नवोन्मेषकों तथा फिनटेक कंपनियों और ग्राहकों सहित **सभी पक्षों पर 'करते हुए सीखने' को प्रोत्साहन प्रदान** करता है।
  - यह व्यापक और अधिक महंगी शुरुआत की आवश्यकता के बिना **उत्पाद की व्यवहार्यता के परीक्षण की अनुमति देता है।**
  - फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते हैं, जो महत्वपूर्ण तरीके से वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ा सकते हैं।
  - **यह उपभोक्ताओं** को उत्पादों और सेवाओं की वर्धित श्रृंखला, अल्प लागत एवं वित्तीय सेवाओं तक **बेहतर पहुंच के माध्यम से बेहतर परिणाम सुलभ करवाता है।**

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक 216 मिलियन लोग अपने ही देश में प्रवासन के लिए विवश हो सकते हैं

- हाल ही में, विश्व बैंक द्वारा **नवीनतम ग्राउंड्सवेल (Groundswell)** रिपोर्ट जारी की गई है।
- **मुख्य निष्कर्ष**
  - जलवायु परिवर्तन **आंतरिक प्रवास का एक शक्तिशाली चालक है,** क्योंकि इसका लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक सुभेद्य स्थानों पर निवास करना अत्यंत दुष्कर हो जाता है।
  - इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक **आंतरिक जलवायु प्रवास** के विभिन्न **"हॉटस्पॉट्स"** उभर सकते हैं। ये हॉटस्पॉट्स **वर्ष 2050** तक प्रसारित और गहन हो जाएंगे।
  - इस प्रकार के प्रवासन के हॉटस्पॉट्स ग्रामीण, शहरी तथा तटीय प्रणालियों में अधिक सकेंद्रित होंगे।
  - वर्ष 2050 तक **उप–सहारा अफ्रीका** में आंतरिक जलवायु शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक होगी।
  - वैश्विक उत्सर्जन को कम करने तथा **हरित, समावेशी एवं लोचशील विकास** का समर्थन करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई से जलवायु संबंधी प्रवास के मामलों को **80 प्रतिशत** तक कम किया जा सकता है।
- **अनुशंसाएं:**
  - जलवायु संबंधी प्रवास को बढ़ावा देने वाले जलवायु जनित दबाव को कम करने हेतु वैश्विक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जानी चाहिए।
  - **दूरदर्शी हरित, प्रत्यास्थ और समावेशी विकास योजना** में जलवायु संबंधी प्रवासन को एकीकृत किया जाना चाहिए।
  - प्रवासन पूर्व, प्रवासन के दौरान व प्रवासन के पश्चात प्रत्येक चरण हेतु **योजना निर्मित की जानी चाहिए,** ताकि सकारात्मक अनुकूलन एवं विकास परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके।
  - नीतिगत प्रतिक्रिया को सूचित करने हेतु **साक्ष्य–आधारित अनुसंधान, प्रतिमानों तथा परामर्श** के माध्यम से जलवायु संबंधी प्रवास के चालकों की समझ विकसित करने में निवेश करना चाहिए।

धीमी गति से आरंभ होने वाले जलवायु परिवर्तन प्रभावों के कारण लोग पलायन करेंगे– मॉडल में शामिल हैं:

- जल की कमी
- फसल उत्पादकता में गिरावट
- समुद्र तल में वृद्धि तथा तूफानों में वृद्धि

कुछ स्थान कम रहने योग्य हो सकते हैं– विश्लेषित कारकों में शामिल हैं:

- तापीय दवाब
- चरम मौसमी घटनाएं
- भूमि–क्षति

मध्य पूर्वी और लघु द्वीपीय विकासशील देशों (SIDS) के लोग भी जलवायु संबंधी प्रवास से प्रभावित होंगे।

असम सरकार ने विदेशी विषयक अधिकरणों (Foreigners' Tribunals) को निरोध व निर्वासन पर 'परिणामी आदेश' पारित नहीं करने का निर्देश दिया है

- केंद्र सरकार द्वारा **विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946** (Foreigners Act, 1946) के तहत **विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964** जारी किया गया था। इसके अनुसार, विदेशी विषयक अधिकरण (अर्ध–न्यायिक निकाय) का गठन इस मुद्दे पर "परामर्श" देने के लिए किया गया था कि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है अथवा नहीं।
  - हालांकि, विदेशी विषयक अधिकरण के सदस्य परामर्श देते समय परिणामी आदेश/निर्देश (मतदाता सूची से नाम हटाना, गिरफ्तारी, हिरासत और निर्वासन) पारित कर रहे थे।
- **विदेशी विषयक अधिकरणों के बारे में**
  - **इन अधिकरणों को दो प्रकार के मामलों हेतु अधिदेशित किया गया है: प्रथम,** वे जिनके विरुद्ध मामला सीमा पुलिस द्वारा "संदर्भित" किया गया है और दूसरे, वे जिनके नाम मतदाता सूची में संदिग्ध (Doubtful–D) के रूप में संदर्भित किए गए हैं।
  - विदेशी विषयक अधिकरण की अध्यक्षता एक सदस्य करता है। यह **एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, नौकरशाह या अधिवक्ता** (जिसे विधिक पेशेवर के रूप में कार्य करने का सात वर्ष का अनुभव हो) हो सकता है।
  - ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में, गृह मंत्रालय ने विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया था। इसके तहत **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के जिलाधीशों को यह निर्धारित करने के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया था** कि भारत में अवैध रूप से निवास करने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं।
    - इससे पूर्व, विदेशी अधिकरण का गठन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास थी।
- **विदेशी विषयक अधिकरण प्रथम बार विशिष्ट रूप से असम के लिए वर्ष 1964 में स्थापित** किए गए थे। देश के शेष हिस्सों में, अवैध रूप से रहने के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गए एक विदेशी व्यक्ति पर स्थानीय न्यायालय में अभियोजन चलाया जाता है और बाद में उसे निर्वासित किया जा सकता है अथवा निरोध केंद्रों में भेजा जा सकता है।

केंद्र सरकार ने जलवायु परिवर्तन एवं बाल श्रम से संबद्ध 10 गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) के वित्तपोषण पर रोक लगाई है

- यह आदेश **भारतीय रिज़र्व बैंक** द्वारा जारी किया गया है। इसमें दस **अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई तथा यूरोपीय** NGOs **को "पूर्व संदर्भ श्रेणी"** {Prior Reference Category" (PRC list)} के अंतर्गत सूचीबद्ध करके इनके वित्त पोषण को प्रतिबंधित किया गया है। इन्हें **विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010** (Foreign Contribution Regulation Act– FCRA 2010) का उपयोग करते हुए इस श्रेणी में रखा गया है।
  - PRC के तहत सूचीबद्ध करने का आशय यह है कि इन प्राप्तकर्ता NGOs को प्राप्त होने वाले वाले सभी विदेशी अंशदानों को **गृह मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।**
  - कई पर्यावरण संबंधी NGOs द्वारा **सरकार की मिथ्या छवि प्रस्तुत करने** तथा उनके **भारत के विकास कार्यों में बाधक प्रतीत होने** के कारण सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है।
  - उदाहरणार्थ कोयला उत्खनन का विरोध करना तथा सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) बढ़ाने का दबाव डालना।
- **भारत में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (FCRA)** के माध्यम से **गृह मंत्रालय** NGOs तथा अन्य संगठनों को प्राप्त विदेशी धन की निगरानी करता है।
  - FCRA यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रकार के किसी भी अभिदान से देश की आंतरिक सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
  - FCRA को वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था तथा निम्नलिखित प्रावधानों के साथ इसे और अधिक कठोर बना दिया गया था:
    - एक NGO से दूसरे NGO में धन के हस्तांतरण को प्रतिबंधित किया गया।
    - विदेशी निधियों के माध्यम से प्रशासनिक व्यय को 50% से घटाकर 20% किया गया।
    - पंजीकरण हेतु आधार (विदेशियों के लिए ओ.सी.आई. कार्ड और पासपोर्ट) को अनिवार्य किया गया।
    - संक्षिप्त जांच के माध्यम से विदेशी निधियों के उपयोग को रोकने हेतु सरकार को शक्तियां प्रदान की गई।

अन्य सुर्ख़ियाँ

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग (CAFMD) का शुभारम्भ किया	○ CAFMD **संयुक्त राज्य अमेरिका–भारत एजेंडा 2030 साझेदारी** के दो मुख्य बिंदुओं (अन्य बिंदु रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी है) में से एक है। जिन्हें अप्रैल 2021 में घोषित किया गया था। ○ **CAFMD के तीन स्तंभ होंगे:** ➢ आगामी दशक में उत्सर्जन को कम करने के उपायों का पर्यवेक्षण करने के लिए **जलवायु कार्रवाई स्तंभ।** ➢ **परिवहन, भवनों और उद्योग में 450 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) क्षमता** प्राप्त करने हेतु एक रोडमैप निर्मित करने के लिए स्तंभ। ➢ **450 GW नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित करने और वृहद पैमाने पर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के लिए वित्त को आकर्षित करने** में सहयोग करने हेतु वित्त स्तंभ।
आर.ई.एक्स. एम.के. II (REX MK II)	○ यह एक **मानव रहित स्थलीय प्लेटफॉर्म है। इसे इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज** द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य जटिल परिस्थितियों में सैनिकों को होने वाली क्षति से बचाना है। ○ REX MK II युद्ध क्षेत्रों में गश्त कर सकता है, घुसपैठियों की निगरानी कर सकता है और गोलियां दाग सकता है। यह **खुफिया जानकारी एकत्र करने, सैन्य सहायता प्रदान करने, घायल सैनिकों को ले जाने और दूरस्थ हमले करने** में लड़ाकू सैन्य बलों की सहायता कर सकता है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) द्वारा सफल समाधान योजना में परिवर्तनों की अनुमति नहीं दी जा सकती	○ हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि NCLT को प्रस्तुत की गई **लेनदारों की समिति द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना** को संशोधित या वापस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वार्ता का एक और स्तर तैयार करेगा। ○ उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्दिष्ट किया कि **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता** (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC) के तहत की गई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया को IBC द्वारा निर्धारित 330 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
विकास वित्तीय संस्थान (Development Finance Institution: DFI)	○ वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बजट में घोषित DFI शीघ्र ही परिचालन में आ जाएगा। ○ **DFI के बारे में–** ➢ इसे राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (National Bank for Financing Infrastructure and Development: **NBFID) अधिनियम, 2021** के तहत निर्मित किया जाएगा। ➢ DFI का उद्देश्य **अवसंरचना परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक वित्त के प्रवाह को सुगम बनाना है।** ➢ इससे पूर्व भारत ने वर्ष 1948 में **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम** (Industrial Finance Corporation of India: IFCI) तथा वर्ष 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India: IDBI) जैसे अत्यंत सफल DFIs की स्थापना की थी। ○ 1990 के दशक के मध्य से (उदारीकरण युग के पश्चात) DFIs **का क्रमिक पतन** आरंभ हो गया था।

VISIONIAS

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) सहित अन्यों को भी आधार ई– अपने ग्राहक को जानिए (Know Your Customer: KYC) लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है	❍ **धन–शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act: PMLA), 2002** के प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनियों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा प्रदान की गई eKYC सुविधा का उपयोग करके ग्राहक के आधार नंबर को सत्यापित करने की अनुमति दी जा सकती है।** ज्ञातव्य है कि यह अनुमति केंद्र सरकार (UIDAI और उपयुक्त विनियामक के साथ परामर्श के पश्चात) द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से प्रदान की जाती है। ➢ तदनुसार, UIDAI द्वारा जारी **आधार सत्यापन लाइसेंस**–के.वाई.सी. प्रयोगकर्ता एजेंसी (KYC User Agency: KUA) लाइसेंस या **उप–के.यू.ए.** (KUA के माध्यम से प्रमाणीकरण करने के लिए) **लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक NBFCs व भुगतान प्रणाली प्रदाताओं** द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
कोयला परियोजनाओं ने मिशन मोड के तहत हरित आवरण क्षेत्र में वृद्धि की	❍ कोयला मंत्रालय के अंतर्गत **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)** की नई परियोजनाएं भूमि को पुनः उसके मूल आकार में ला रही हैं। साथ ही, अपनी कोयला खनन गतिविधियों के साथ–साथ आस–पास के हरित आवरण क्षेत्र को भी बढ़ा रही हैं। ➢ कोयला खनन संचालन (opencast coal mining) के पश्चात् **उत्खनित भूमि को भरने के साथ–साथ सघन वृक्षारोपण** पर भी बल दिया जा रहा है। ➢ इससे प्रदूषण के प्रभाव को काफी हद तक कम करने और कार्बन ऑफसेट को बढ़ाने में भी मदद मिली है। ❍ **मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में ओपनकास्ट कोयला परियोजना** में इस उपाय को कार्यान्वित किया जा रहा है।
फास्टैग (FASTag)–आधारित पार्किंग सेवाएं	❍ इसे **पेटीएम (Paytm) द्वारा पहली बार दिल्ली मेट्रो पार्किंग में काउंटर** पर नकद भुगतान करने हेतु रुकने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए आरंभ किया गया है। ❍ **फास्टैग के बारे में–** ➢ यह राष्ट्रीय और राज्य से संबंधित सभी टोल प्लाजाओं पर निर्बाध आवाजाही को सक्षम करने हेतु **वाहनों के लिए 1 दिसंबर, 2017 से अनिवार्य डिजिटल स्टिकर है।** ➢ इसके द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) तकनीक का उपयोग किया जाता है और यह पांच वर्षों के लिए वैध है। ➢ इस कार्यक्रम को **भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (IHMCL)** (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निगमित एक कंपनी) और **भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम** (National Payment Corporation of India: NPCI) द्वारा लागू किया जा रहा है।
हिंदी दिवस 2021	❍ इसे प्रति वर्ष **14 सितंबर को हिंदी भाषा को संरक्षित रखने और इसका अनुरक्षण करने** के लक्ष्य के साथ मनाया जाता है। ❍ भारत की संविधान सभा ने **14 सितंबर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की राजभाषा** के रूप में स्वीकार किया था। ➢ संविधान के **अनुच्छेद 343** में निर्दिष्ट किया गया है कि **संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।** ➢ **अनुच्छेद 351** में प्रावधान किया गया है कि **संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।** ❍ हालांकि, भारत में **हिंदी को शास्त्रीय भाषा के रूप में नहीं** माना जाता है।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चड़ीगढ गुवाहटी